

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या – 05/2023-24

केश का प्रकार – सी0एन0टी0 एक्ट 46

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षरी	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
	आवेदक नमजन बागे, पिता – स्व० सुलेमान बागे, जाति – मुण्डा, ग्राम – टाटी, पोस्ट – रामपुर, थाना – कामडारा, जिला – गुमला (झारखण्ड) स्थित थाना सं० 06 स्थित मौजा – टाटी, खाता सं० 208, प्लॉट सं० – 1979, कुल रकबा – 1.14 एकड़ में से 0.20 एकड़ भूमि को क्रेता लुकस सुरीन, पिता – जुएल सुरीन, जाति – मुण्डा, ग्राम – कुरकुरा, पोस्ट – कुरकुरा थाना – कुरकुरा, जिला – गुमला के साथ बिक्री/ वसीयत/ बक्सीस करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><td>राजस्व ग्राम</td><td>थाना सं०</td><td>खाता सं०</td><td>प्लॉट सं०</td><td>रकबा</td><td>जमीन का किस्म</td></tr><tr><td>टाटी</td><td>06 07</td><td>208</td><td>1979</td><td>1.14 ए० में से 0.20 ए०</td><td>टांड</td></tr></table> कुल 0.20 एकड़ जमीन विक्रेता की विवरणी नमजन बागे, पिता – स्व० सुलेमान बागे, जाति – मुण्डा, ग्राम – टाटी, पोस्ट – रामपुर, थाना – कामडारा, जिला – गुमला (झारखण्ड) जमीन क्रेता की विवरणी लुकस सुरीन, पिता – जुएल सुरीन, जाति – मुण्डा, ग्राम – कुरकुरा, पोस्ट – कुरकुरा थाना – कामडारा, जिला – गुमला	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन का किस्म	टाटी	06 07	208	1979	1.14 ए० में से 0.20 ए०	टांड	
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन का किस्म									
टाटी	06 07	208	1979	1.14 ए० में से 0.20 ए०	टांड									

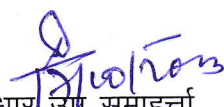
आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित केता लुकस सुरीन, पिता - जुएल सुरीन, जाति - मुण्डा, ग्राम - कुरकुरा, पोस्ट-कुरकुरा थाना - कुरकुरा, जिला - गुमला से मो0 1,40,000.00 (तीन लाख चालीस हजार) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को रुपये की जरूरत वास्ते मकान बनाने व शादी के लिए रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, कामडारा को आवेदन भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम इश्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, कामडारा के कार्यालय पत्रांक - 04 दिनांक - 01.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि के बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्त के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भू-बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, कामडारा के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक नमजन बागे, पिता - स्व0 सुलेमान बागे, जाति - मुण्डा, ग्राम - टाटी, पोस्ट - रामपुर, थाना - कामडारा, जिला - गुमला (झारखण्ड) को उपरोक्त वर्णित राशि 1,40,000.00 (तीन लाख चालीस हजार) रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित ।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया(गुमला)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया(गुमला)।